



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180845

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन संख्या - 27772 वर्ष 2025

अरशद एवं अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अब्दुल मजीद

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : दीपांकर चौधरी, सुधीर मेहरोत्रा, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 89

माननीय न्यायमूर्ति राज बीर सिंह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक प्रकीर्ण पुनर्विचार आवेदन संख्या 02 वर्ष 2025 पर आदेश:-

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री अब्दुल मजीद, सुश्री अनुप्रिया, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज, बरेली की ओर से उच्च न्यायालय में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर मेहरोत्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

2. यह प्रकीर्ण रिकॉल एप्लीकेशन आवेदकों, अर्थात् अरशद एवं दुलारे, की ओर से इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 08.08.2025 के आदेश को वापस लिए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

3. अभिलेख के परिशीलन से पता चलता है कि आवेदकों, अर्थात् अरशद एवं दुलारे ने पक्षकारों के मध्य समझौते के आधार पर कार्यवाही को निरस्त किए जाने के लिए धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन संख्या 27772 वर्ष 2025 प्रस्तुत किया है। उक्त धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन को दिनांक 08.08.2025 के आदेश द्वारा निस्तारित किया गया था, जिसे नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

“1. श्री दीपांकर चौधरी, विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय में विपक्षी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

3. यह आवेदन धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत संपूर्ण कार्यवाही, जिसमें दिनांक

16.07.2024 का आरोप पत्र तथा वाद संख्या 2202 वर्ष 2025 (राज्य बनाम अरशद
अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एवं अन्य), जो वाद अपराध संख्या 190 वर्ष 2024, धारा 323, 506 भा.दं.सं., थाना प्रेमनगर, जिला बरेली से उत्पन्न हुआ है तथा जिला बरेली के अपर सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग-7) के न्यायालय में लंबित है, का दिनांक 06.11.2024 का संज्ञान/समन आदेश भी सम्मिलित है, को पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर निरस्त किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि विवाद एक मामूली घटना से संबंधित है और अब दोनों पक्षों ने आपसी सौहार्दपूर्वक विवाद का निपटारा कर लिया है तथा मामले में समझौता कर लिया है। प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

5. अभिलेख के परिशीलन से पता चलता है कि आवेदकों को धारा 323, 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराधों के लिए समन किया गया है और ये दोनों अपराध शमनीय हैं तथा इस प्रकार, मामले का अंतिम रूप से निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।

6. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि यदि दोनों पक्ष दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष समझौते के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो उस पर विचार करते हुए विधि के अनुसार शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा। यह भी निर्देशित किया जाता है कि आज से दो सप्ताह की अवधि तक और यदि उक्त अवधि के भीतर समझौते के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो समझौते के आवेदन के निस्तारण तक, उपर्युक्त मामले में आवेदकों के विरुद्ध कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपर्युक्त टिप्पणी के साथ, धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

4. यह स्पष्ट है कि चूंकि अपराध शमनीय थे, इसलिए यह निर्देश दिया गया था कि यदि दोनों पक्ष दो सप्ताह की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष समझौते के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो उस पर विचार करते हुए विधि के अनुसार शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा और यह भी निर्देश दिया गया था कि उस तारीख से दो सप्ताह की अवधि तक, यदि उक्त अवधि के भीतर समझौते के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो समझौते के आवेदन के निस्तारण तक, आवेदकों के विरुद्ध कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

5. यह दर्शाया गया कि सुश्री अनुप्रिया, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), न्यायालय संख्या 7, बरेली ने इस न्यायालय के उपर्युक्त आदेश का पालन एवं अनुपालन नहीं किया। विचारण न्यायालय के दिनांक 14.08.2025 के आदेश के परिशीलन से पता चलता है कि दोनों पक्षों द्वारा समझौता दाखिल किया गया था और न्यायालय द्वारा उसका सत्यापन भी किया गया था, किंतु इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय ने समझौते पर कोई आदेश पारित नहीं किया और मामले को सुनवाई के लिए नियत कर दिया। दिनांक 28.08.2025 का आदेश दर्शाता है कि आवेदकों को जमानत प्रदान की गई और मामले को आरोप के लिए दिनांक 29.08.2025 को नियत किया गया। दिनांक 29.08.2025 को आरोप निर्धारित किए गए। अगली तारीख अर्थात् 01.09.2025 को पी.डब्ल्यू.-1 एवं 2 के बयान दर्ज किए गए। दिनांक 08.09.2025 को धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए और बहस भी सुनी गई। दिनांक 20.09.2025 को निर्णय पारित किया गया और उपर्युक्त आवेदकों/अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया। यह स्पष्ट है कि एक बार दिनांक 14.08.2025 को विद्वान पीठासीन अधिकारी सुश्री अनुप्रिया द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समझौते का सत्यापन कर दिए जाने के पश्चात, मामले का निर्णय समझौते के आधार पर किया जाना चाहिए था, किंतु इसके बावजूद उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत प्राप्त करने के लिए बाध्य किया, आरोप निर्धारित किए और उन्हें विचारण के लिए प्रस्तुत किया। अतः यह स्पष्ट है कि सुश्री अनुप्रिया, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), न्यायालय संख्या 7, बरेली ने इस न्यायालय के आदेश की घोर एवं स्पष्ट रूप से अवहेलना की तथा कानून के प्रावधानों की पूर्ण उपेक्षा करते हुए उसका उल्लंघन किया। उक्त पीठासीन अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। यह स्पष्ट है कि दिनांक 15.04.2026 के अपने स्पष्टीकरण में उक्त पीठासीन अधिकारी ने यह असत्य कथन किया है कि पक्षकारों ने समझौते पर जोर नहीं दिया, जबकि दिनांक 14.08.2025 की आदेश पत्रिका से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि समझौता दाखिल किया गया था और यहां तक कि पीठासीन अधिकारी द्वारा उसका सत्यापन भी किया गया था। अन्यथा भी, जब आवेदकों ने समझौते के आधार पर कार्यवाही को निरस्त किए जाने के लिए इस न्यायालय का रुख किया था और उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष समझौता प्रस्तुत किया था, तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे समझौते पर जोर नहीं देंगे और विचारण का सामना करना चुनेंगे। उक्त स्पष्टीकरण में पीठासीन अधिकारी ने यह भी उल्लेख किया है कि अभियुक्तों के अधिवक्ता ने कहा था कि उन्हें अपनी फीस मिल जाएगी और गवाहों के पक्षद्रोही बयान दर्ज किए जाने के पश्चात मामले का निर्णय किया जाए तथा उक्त अनुरोध पर विचारण न्यायालय ने विचारण की कार्यवाही आगे बढ़ाई। पीठासीन अधिकारी का यह कथन पुनः दर्शाता है कि उन्हें इस न्यायालय के आदेश का कोई सम्मान नहीं है और अभियुक्तों के अधिवक्ता की फीस की सुविधा के लिए उन्होंने विधिवत सत्यापित समझौते पर कोई आदेश पारित किए बिना आवेदकों/अभियुक्तों को विचारण के लिए प्रस्तुत कर दिया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 08.08.2025 के आदेश की सुश्री अनुप्रिया, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), न्यायालय संख्या 7, बरेली द्वारा स्पष्ट एवं घोर रूप से अवहेलना की गई तथा उसका उल्लंघन किया गया और समझौते के सत्यापन के पश्चात भी समझौते पर आदेश पारित करने के बजाय उन्होंने विचारण की कार्यवाही आगे बढ़ाई, अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप निर्धारित किए और उन्हें अवैध एवं मनमाने तरीके से विचारण के लिए प्रस्तुत किया। उक्त पीठासीन अधिकारी का आचरण एक न्यायिक अधिकारी के लिए अशोभनीय है।

7. सुश्री अनुप्रिया, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज, बरेली की ओर से उच्च न्यायालय में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर मेहरोत्रा ने प्रस्तुत किया कि पीठासीन अधिकारी क्षमा याचना करती हैं और उनका लंबा सेवाकाल रहा है तथा उनकी क्षमा याचना स्वीकार की जाए।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, सुश्री अनुप्रिया, तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), न्यायालय संख्या 7, बरेली के विरुद्ध आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और न ही कोई कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की जाती है, किंतु उन्हें भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है।

9. जहाँ तक दिनांक 08.08.2025 के आदेश को वापस लिए जाने के प्रश्न का संबंध है, चूँकि मामले का विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय किया जा चुका है, अतः दिनांक 08.08.2025 के आदेश को वापस लिए जाने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

10. रिकॉल एप्लीकेशन का उपर्युक्त शर्तों में निस्तारण किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति राज बीर सिंह)

31 अगस्त, 2026

‘एसपी’/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।